उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, पर दिनांक 18-8-81 को 11-00 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1981 की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थि थे:-

(1)	श्री बी0जे0ओदायजी		अध्यक्ष
(2)	श्री दयानन्द व्यास	सदस्य, विधान परिषद	सदस्य
(3)	प्रो0दिनेश मोहन	निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रुड़की।	सदस्य
(4)	श्री श्याम जी पाण्डे	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
(5)	डा0जे0पी0सिंह	सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
(6)	श्री के0एस0त्रिपाठी	विशेष सचिव, आवास (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
(7)	श्री मधुकर गुप्त	प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ	सदस्य
(8)	श्री आर0एस0माथुर	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
	दिनांक 24-3-81 को परिषद मुख्यालय पर हुई बैठक के कार्य- शुद्धि पत्र संकल्प संख्या IV (1)81 दिनांक 24-9-81 के अनुरूप	111/(1)/81	परिषद के कार्यवृत्त में निम्नलिखित संशोधन करते हुए पुष्टि की गयी:- (1)श्री शशि कान्त जैन, अनु सचिव, स्वायत्त शासन'' के साथ ''प्रतिनिधि सचिव स्वायत्त शासन'' जोड़ दिया जाय। (2) मद सं0-2 के क्रमांक-7 में सचिव, स्वायत्त शासन'' के स्थान पर '' सचिव नगर विकास लिखा जाय। (3)मद सं0-2 के क्रमांक-15 में ''उप सचिव श्री दुबे-'के स्थान पर''उप सचिव, श्री दवे''लिखा जाय।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 24-3-81 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	111/(2)/81	परिषद द्वारा दिनांक 24-3-81 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वियन से संबंधित आख्या का अवलोकन किया गया और निम्नलिखित निर्देश दिये गये:- 1- वाहनों के क्रय करने के सम्बन्ध में शासन स्तर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुरूप अलग से मानक निर्धारित कर आवास विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत कराने के संबंध में

क्र0प0उ0

1	2	3	4
			व्यक्तिगत सम्पर्क करने के निर्देश दिये गये। प्रस्तावित शासनादेश निर्गत हो जाने के उपरान्त जैसे ही कोई वृत्त, कार्यखण्ड या इकाई खुलेगी स्वमेव उसके लिये वाहन क्रय करना सम्भव हो जायेगा।
		2-	सहायक निदेशक (प्रचार) के पद के संबंध में उप समिति की शीघ्र बैठक बुलाकर संस्तुतियां परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखी जायें।
		3-	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में राजस्व सचिव के स्तर पर बैठक का आयोजन करके उक्त पदों का शीघ्र सृजन कराया जाय और उसके तुरन्त बाद तैनातियां कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय। सृजित पदों को भरने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।
		4-	मुरादाबाद और अलीगढ़ में परिषद द्वारा निर्मित विभिन्न आय वर्गों के भवनों में पुलिस सी०आर०पी० एवं पी०ए०सी० द्वारा अनाधिकृत अध्यासन के संबंध में पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये इस मामले की गम्भीरता से शासन को अवगत कराकर विभिन्न स्तरों पर शीघ्र निर्णय कराने के निर्देश दिये गये। श्री दया नन्द व्यास, एम०एल०सी० के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि शासन को यह अवगत कराया जाय कि परिषद अपने भवनों पर किये गये ऐसे अनाधिकृत अध्यासन को बड़ी गम्भीरता से लेती है और शासन अपने स्तर पर संबंधित अधिकारियों की बैठक करके पिछले किरायों का भुगतान कराये और किये गये तोड़-फोड़ के लिए दण्ड स्वरूप वसूली की धनराशि निश्चित करे तथा भवनों को निश्चित अवधि में खाली कराकर परिषद को उपलब्ध कराये ताकि उसे वास्तविक स्वामियों को अविलम्ब हस्तान्तरित किया जा सके। यह भी निर्णय लिया गया कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु शासन से अनुरोध किया जाय। इस संबंध में पहले मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर बैठक करके पूर्ण स्थिति से माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री जी को अवगत कराया जाय जिससे निर्धारित समय

कृ०प०उ०

1	2	3	4
			में प्रभावी कार्यवाही सम्पन्न होकर भवनों का कब्जा परिषद को मिल जाय।
		5-	राम सागर मिश्र नगर के 80 मध्यम आय वर्ग एम0ए0-75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक सम्परीक्षण के सम्बन्ध में सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर पूर्व निर्णयानुसार अविलम्ब बैठक कराई जाये और लिये गये निर्णयों से परिषद को परिषद की अगली बैठक में रखकर अवगत कराया जाय।
		6-	वर्क साईट रजिस्टर सभी कार्य-स्थलों पर रखा जा रहा है अथवा नहीं इसे सुनिश्चित किया जाय।
		7-	समस्त कालोनीज़ जो अभी तक स्थानीय निकायों को तैयार हो जाने के बाद हस्तान्तरित नहीं हुई हैं उनके हस्तान्तरण तथा रख-रखाव के लिये सचिव, नगर विकास के स्तर पर एक बैठक शीघ्र करायी जाय तथा भविष्य में जो आवासीय कालोनियाँ स्थानीय निकाय की सीमा अथवा उसके बाहर बनायी जायेगी अथवा जो बनाई जा रही है उनके संबंध में पूरी सूचना अग्रिम में नगर विकास विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ताकि कालोनीज़ तैयार हो जाने पर उनके हस्तान्तरण की समस्या उत्पन्न न हो।
		8-	परिषद के लेखों को कम्प्यूटराईज़ कराने के लिये शीघ्र उपयुक्त कार्यवाही की जाय और कृत कार्यवाही से परिषद को परिषद की अगली बैठक में अवगत कराया जाय।
		9-	''कारपोरेट प्लान'' परिषद की अगली बैठक मेंअवश्य प्रस्तुत किया जाय।
	मद सं0-2 के क्रमांक-10 की तीसरी पंक्ति में ''उपयुक्त'' शब्द के स्थान पर ''उपलब्ध'' लिखा जाय।	10-	आगरा की कमला नगर आवास योजना में ग्राम लश्करपुर में स्थित करबला-कमेटी द्वारा जो 9 एकड़ भूमि को उपयुक्त करने का प्रश्न है के मामले में माननीय आवास मंत्री जी की अध्यक्षता में पूर्व निर्णयानुसार एक बैठक अविलम्ब कराई जाय। इस बैठक के लिये पृष्ठ-भूमि टिप्पणी पहले से तैयार कर ली जाय। यह भी निश्चित कर लिया जाय कि बैठक में किस किस को आमंत्रित करना है।
		11-	परिषद की सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बरेली के विकास कार्यों के प्राक्कलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाय।
		12-	परिषद द्वारा विभिन्न शहरों में निर्मित आवासीय भवनों में से कुछ फीसदी भवन जरूरतमन्द लोगों को आवंटित करने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत करने के संबंध में शासन को पत्र सं0-1332/सं0प्र0-3 दिनांक 25-4-81 द्वारा भेजे गये पत्र के संदर्भ में शीघ्र शासनादेश निर्गत करने हेतु अनुरोध किया जाय।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
			13- भीमताल भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, भीमताल के संबंध में जल सम्पूर्ति के लिए सिंचाई विभाग से सम्पर्क का क्या निष्कर्ष रहा इसकी सूचना परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखी जाय।
			14- ''रिवालविंग फण्ड'' के संबंध में गठित उप समिति की बैठक शीघ्र करायी जाय। बैठक में लिये गये निर्णय से परिषद को परिषद की अगली बैठक में अवगत कराया जाय।
			15- परिषद की पिछली बैठकों में लिये गये निर्णयानुसार परिषद अधिनियम में संशोधन के सम्बन्ध में शासन स्तर पर लम्बित कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करायी जाय।
			16- परिषद के मध्यम आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग भवन निर्माण योजनान्तर्गत विनियमावली में प्रयुक्त भूमि का तात्पर्य ''छत'' से लिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णयानुसार शीघ्र समुचित कार्यवाही की जाय और इससे परिषद को परिषद की अगली बैठक में अवगत कराया जाय।
			17- परिषद के कार्यक्षेत्र में अन्य नगरों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव शासन को 6-12-80 तथा 11-2-81 को दिया गया उसके संबंध में शासन स्तर पर शीघ्र कार्यवाही करायी जाय।
3-	मद संo-2 के क्रमांक-17 में मऊ के आगे ''जिला आज़मगढ़'' कोष्टक में लिखा जाय। उसी प्रस्तर में ''जिन'' के स्थान पर ''इन'' शब्द लिखा जाय।		डाक्टर जेoपीoसिंह, सचिव नगर विकास के प्रस्ताव पर परिषद के कार्यक्षेत्र में मऊ जिला खलीलाबाद (जिला-बस्ती) तथा अकबरपुर (जिला-फैज़ाबाद) नगरों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में परिषद में सर्व-सम्मति से निर्णय लिया कि इन जिन नगरों का प्रस्ताव औचित्य अंकित करते हुए शासन को स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेज दिया जाय।
			18- रानीखेत में भूमि प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष महोदय एवं आवास आयुक्त महोदय की ओर से व्यक्तिगत प्रयास किये जायं। कैन्टूनमेन्ट सीमा से लगी कुछ भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु उपयुक्त पाई गई है इससे संबंधित प्रस्ताव मुख्यालय प्राप्त हो गया है। प्रस्ताव की जांच मुख्यालय पर शीघ्र की जाय और चयन समिति द्वारा निरीक्षण कराकर उक्त रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में रखी जाय। इस संबंध में जिलाधिकारी अल्मोड़ा तथा मण्डलायुक्त कुमायूं से सम्पर्क करके उनसे भी सहायता आवश्यकतानुसार ली जाय।

कृoपoउ

1	2	3	4
			19- दिलकुशा कालोनी के लिये रक्षा मंत्रालय व्दारा भूमि प्राप्त करने के लिये मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर प्रस्तावित बैठक शीघ्र करायी जाय। दिलकुशा कालोनी के पीछे स्थित खाली भूमि के स्थल पर चयन समिति व्दारा निरीक्षण कर इसे आवासीय प्रयोजन हेतु अधिग्रहीत करने पर विचार किया जाय और वास्तुस्थिति से परिषद को अगली बैठक में अवगत कराया जाय।
			20- पिथौरागढ़ के लिये नियुक्त विशेष चयन समिति शीघ्र उपयुक्त स्थल का चयन उक्त नगर के लिये करें। मंसूरी तथा हमीरपुर में सम्बन्धित जिलाधिकारियों के सहयोग से उपयुक्त स्थल चयन किया जाय। नौगढ़(जिला-बस्ती) के बारे में पुनर्जांच किया जाय और यदि उपर्युक्त पाया जाय तो प्रस्ताव परिषद की आगामी बैठक में रखा जाय।
			21- देवबन्द, गोपेश्वर तथा गोला गोकरननाथ नगरों के लिए धारा-28 का प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक मेंअवश्य प्रस्तुत किया जाय।
	मद सं0-2 में क्रमांक-22 के अंतिम प्रस्तर की अन्तिम पंक्ति में सदस्य, आवास परिषद के आगे ''से'' लिखा जाय और उसके बाद''परामर्श'' शब्द के आगे''से''शब्द को विलुप्त समझा जाय। कृ0प0उ0		22- यह निर्णय लिया गया कि परिषद व्दारा निर्मित किये जा रहे भवनों की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाय और इसके लिये क्वालिटी कन्ट्रोल का सिस्टम विकसित किया जाय। क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी अपने अधिनस्थ अधिकारियों से एक निर्धारित प्रोफार्म पर रिपोर्ट मंगाये और उसमें से कुछ निर्धारित प्रतिशत स्वयं जांच कर देखें उसमें दी गयी रिपोर्ट कहां तक सत्य है। क्वालिटी को उत्कृष्ट कोटि का रखने के संबंध में जिस प्रोफार्मे पर विवरण प्राप्त करना है उसका अन्तिम रूप प्रो0 दिनेश मोहन, सदस्य आवास परिषद के परामर्श से कर लिया जाय।
	राजाजीपुरम् योजना, लखनऊ में 50 दुकानों तथा 4 कियोस्क के निर्माण के संबंध में।	111/(3)/81	राजाजीपुरम् योजना, लखनऊ में 50 दुकानों तथा 4 कियास्क के निर्माण करने के संबंध में परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	रामसागर मिश्र नगर योजना के सेक्टर-5 में सब्जीमण्डी के लिए 192 चबूतरों का निर्माण।	111/(4)/81	राम सागर मिश्र नगर योजना के सेक्टर-5 में सब्जी मण्डी के लिये 192 चबूतरों के निर्माण के सम्बन्ध में परिषद व्दारा सर्व-सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि इन चबूतरों के ऊपर कैसी छाया रखी जाय इस का एक स्टैण्डर्ड नमूना निर्धारित कर दिया जाय ताकि उसमें एक रूपता रहे और अनाधिकृत निर्माण की सम्भावना न हो पावे।
	राम सागर मिश्र नगर योजना के सेक्टर-4 में निर्माणाधीन उच्च आय वर्ग के 192 आवासों में अतिरिक्त कार्यों के संबंध में।	111/(5)/81	राम सागर मिश्र नगर योजना के सेक्टर-4 में निर्माणाधीन उच्च आय वर्ग के 192 आवासों में अतिरिक्त कार्यों के संबंध में निर्माण की स्वीकृति परिषद व्दारा सर्वसम्मति से दी गयी।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
	...लनगर योजना ... 16 अल्प ... 10 दुर्बल आय ... निर्माण।	111/(6)/81	महामन्द जलालनगर योजना शाहजहाँपुर में 16 अल्प आय वर्ग एवं 10 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण की स्वीकृति परिषद व्दारा सर्वसम्मति से प्रदान की गयी।
37-	मुग... में भूमि विकास एवं ... योजना, मुगलसराय, ... की धारा-28 हेतु ... प्राक्कलन।	111/(7)/81	मुगलसराय भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मुगलसराय के धारा-28 के प्रस्ताव का परिषद व्दारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि नगरपालिका मुगलसराय को प्रारम्भिक स्तर से ही इस योजना से सम्बद्ध रखा जाय ताकि इस योजना से संबंधित जो कार्य नगर पालिका व्दारा होने हैं उसमें विलम्ब न हो।
38-	प्रदेश पर ... के ...8 में प्रथम पंक्ति में ''मेरठ ... के बीच डैश बढ़ा दिया जाय। ... हापुड़ एवं मेरठ दिल्ली के मध्य भूमि विकास गृहस्थान योजना (योजना -10) मेरठ का धारा-28 प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	111/(8)/81	मेरठ हापुड़ एवं मेरठ दिल्ली मार्गों के मध्य भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (योजना सं0-10) मेरठ की धारा-28 हेतु प्रस्ताव को सर्वसम्मति से परिषद व्दारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
39-	...नपुरा योजना झांसी में मध्यम आय वर्ग, 8अल्प ... वर्ग एवं 3 दुर्बल आय ... के भवनों का निर्माण।	111/(9)/81	नन्दनपुरा योजना झाँसी में 8 मध्यम आय वर्ग, 8 अल्प आय वर्ग एवं 3 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण की परिषद व्दारा सर्वसम्मति स्वीकृति प्रदान की गयी।
	राजाजीपुरम् योजना के सेक्टर-7 में 63 उच्च आय वर्ग एवं 20 अल्प आय वर्ग के भवनों का निर्माण।	111(10)/81	राजाजीपुरम् योजना के सेक्टर-7 में 63 उच्च आय वर्ग एवं 20 अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	राम सागर मिश्र नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-6 में 12 कार गैराज इसके ऊपर 12 सर्वेन्ट क्वार्टर एवं 23 स्कूटर गैराज के निर्माण के संबंध में।	111/(11)/81	रामसागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-6 में 12 कार गैराज, उसके ऊपर 12 सर्वेंट क्वार्टर्स एवं 23 स्कूटर गैराज के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
	राम सागर मिश्र नगर योजना के सेक्टर-1 व 7 में 206 स्कूटर गैराजों का निर्माण।	111/(12)/81	राम सागर मिश्र नगर योजना के सेक्टर-1 व 7 में 206 स्कूटर गैराजों के निर्माण के प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	राजाजीपुरम योजना, लखनऊ के सेक्टर-17 तथा 18 में 76 दुकानें तथा 16 कियास्कों का निर्माण।	111/(13)/81	राजाजीपुरम् योजना, सेक्टर-17 एवं 18 में 76 दुकानें तथा 16 कियास्कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	राम सागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ में दो सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण।	111/(14)/81	राम सागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ में दो सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	राजाजीपुरम् योजना, लखनऊ के सेक्टर-18 में निर्मित 10 दुकानों के ऊपर आफिस काम्पलेक्स का निर्माण।	111/(15)/81	राजाजीपुरम् योजना, लखनऊ के सेक्टर-18 में निर्मित 10 दुकानों के ऊपर आफिस काम्पलेक्स के निर्माण के प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
...6-	राम सागर मिश्र नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-4 में 34 दुकानें तथा 2 कियास्क का निर्माण।	111/(16)/81	राम सागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-4 में 34 दुकानों तथा 2 कियास्क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
17-	परिषद की योजनाओं में विदेशी मुद्रा देने वालों के लिये भवन/भूखण्डों का आरक्षण।	111/(17)/81	परिषद की योजनाओं में विदेशी मुद्रा देने वालों के लिये भवनों/ भूखण्डों के आरक्षण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
18-	राम सागर मिश्र नगर योजना लखनऊ में श्रीमती प्रेम सेठ को अतिरिक्त भूमि दिये जाने के संबंध में।	111/(18)/81	राम सागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ में श्रीमती प्रेम सेठ को अतिरिक्त भूमि दिये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
19-	कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड से अस्थाई अग्रिम स्वीकृत हेतु उप आवास आयुक्त एवं सचिव को अधिकृत किया जाना।	111/(19)/81	कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड से अस्थाई अग्रिम स्वीकृति हेतु उप आवास आयुक्त एवं सचिव को अधिकृत किये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
20-	जी0टी0रोड योजना, अलीगढ़ में 23 दुकानों तथा कियास्कों का निर्माण।	111/(20)/81	जी0टी0रोड योजना, अलीगढ़ में 23 दुकानों तथा 3 कियास्कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
21-	राजाजीपुरम् (तालकटोरा) योजना के सेक्टर-15-18 तक में जी0एच0केनाल के साथ मिले प्रस्तावित 9 मीटर चौड़ी मुख्य मार्ग हेतु विक्रम काटन तक परिषद की भूमि के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में।	111/(21)/81	राजाजीपुरम् (तालकटोरा) योजना के सेक्टर-15-18 तक में जी0एच0केनाल के साथ मिले प्रस्तावित 9 मीटर चौड़ी मुख्य मार्ग हेतु विक्रम काटन तक परिषद की भूमि के आदान-प्रदान के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
[illegible]-	''उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद रेगुलेशन फार दि ग्राण्ट आफ हाउस बिल्डिंग एडवान्स टु दि इम्पलाइज़ आफ दि परिषद-1973'' के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों के समान परिषद कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम दिये जाने के सम्बन्ध में।	111/(22)/81	''उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद रेगुलेशन फार दि ग्रान्ट आफ हाउस बिल्डिंग एडवान्स टु दि इम्पलाइज़ आफ दि परिषद-1973'' के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों के समान परिषद कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम दिये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को अगली बैठक में स्थगित करके रखने हेतु निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस बीच अन्य सार्वजनिक उपक्रमों विशेष कर एल0डी0ए0 के डी0ए0आदि में भवन निर्माण अग्रिम दिये जाने से सम्बन्धित नियमों की जानकारी कर ली जाय और अगली बैठक में पूर्ण विवरण परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
23-	कानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना:- लखनऊ को परित्याग करने के सम्बन्ध में। 6- मद सं0-23 में ''प्रशासक लखनऊ नगर महापालिका'' के स्थान पर ''उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण'' लिख दिया जाय और अन्तिम दो पंक्तियों में ''लखनऊ विकास प्राधिकरण'' के स्थान पर ''वह'' लिख दिया जाय।	111/(23)/81	कानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखनऊ को परित्याग करने के प्रस्ताव की स्वीकृति करते हुये यह निर्णय लिया गया कि प्रशासक, लखनऊ नगर महापालिका से सम्पर्क करके उनसे ज्ञात किया जाय कि क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण इस क्षेत्र को अपने कार्यक्षेत्र में लेना चाहता है या नहीं।
24-	कार्य निदेशक को परिषद में दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण न होने पर भी परिषद अधिकारी/ कर्मचारी को देय 10 प्रतिशत की छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	[illegible])/81	श्री जगमोहन लाल, भूतपूर्व कार्य निदेशक की परिषद में दो वर्ष की सेवा पूर्ण न होने पर भी परिषद अधिकारियों/ कर्मचारियों को देय 10% की छूट दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत टिप्पणी पर परिषद व्दारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त छूट

क0प0उ0

1	2	3	4
			दिया जाना सम्भव नहीं है।
25-	परिषद व्दारा गठित कार्यान्वियन समिति की रिपोर्ट।	111/(25)/81	परिषद व्दारा कार्यान्वियन समिति की रिपोर्ट को अगली बैठक में विचारार्थ रखने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
26-	हमीरपुर रोड के समीप कानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 कानपुर में 132 के0वी0 सब स्टेशन बनाने हेतु 20-00 एकड़ भूमि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को दिये जाने के सम्बन्ध में।	111/(26)/81	हमीरपुर रोड के समीप कानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 कानपुर में 132 के0वी0सब स्टेशन बनाने हेतु 20-00 एकड़ भूमि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को दिये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
27	निर्माण कार्य की समीक्षा (30 जून-1981 तक)	111/(27)/81	निर्माण कार्यों की समीक्षा की गयी और इस संबंध में परिषद व्दारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- भूमि अध्याप्ति की विभिन्न कार्यवाहियां सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराने के लिये विशेष प्रयास किया जाय क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में 5000 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2- अतिरिक्त विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पदों का सृजन कराकर लम्बित भूमि अध्याप्ति के मामले शीघ्र निपटायें जायें। 3- विकास कार्यों में और अधिक प्रगति लाई जाय। 4- विकास कार्य करने के लिये पहले ऐसे छोटे-छोटे क्षेत्र को लिया जाय जिसमें भूमि मिल चुकी है। 5- भवन निर्माण के कार्य में और प्रगति लाई जाय। साथ ही विभिन्न स्तरों पर कार्यों का मूल्यांकन किया जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि निर्माण कार्य अतिशीघ्रता से सम्पन्न हो। 6- यह भी देखा जाय कि निर्माण के बाद वास्तव में कितने भवन आवंटनोपरान्त हस्तान्तरित हो गये हैं।
	7- मद सं0-27 के क्रमांक (1) तीसरी पंक्ति में ''जाय'' शब्द बढ़ा दिया जाय।		
28-	मार्टिनपुरवा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ का धारा-28 का प्रस्ताव।	111/(28)/81	मार्टिनपुरवा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखनऊ के धारा-28 का प्रस्ताव परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
29-	रजपुरा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, भदोही जिला-वाराणसी को परित्याग करने के सम्बन्ध में।	111/(29)/81	रजपुरा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना भदोही जिला वाराणसी को परित्याग करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से परिषद व्दारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
	अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह करने पर आवासीय सुविधा का उपलब्ध कराया जाना।	111/(30)/81	अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह करने पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से परिषद व्दारा यह निर्णय लिया गया कि इस श्रेणी के व्यक्तियों को भी नेत्रहीन तथा विकलांग आदि के लिये निर्धारित श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाय।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
31-	हापुड़-गाज़ियाबाद मार्ग पर बाज़ार योजना(योजना-सं0-3)हापुड़।	111/(31)/81	हापुड़-गाज़ियाबाद मार्ग पर बाज़ार योजना(योजना सं0-3)हापुड़ के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
32-	चिरंजीलाल कन्या विद्यालय योजना सं0-2 में 22 मध्यम आय वर्ग, 5 अल्प आय वर्ग तथा 17। दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण के संबंध में।	111/(32)/81	चिरंजीलाल कन्या विद्यालय योजना सं0-2 अलीगढ़ में 22 मध्यम आय वर्ग 5 अल्प आय वर्ग तथा 17। दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण के संबंध में परिषद व्दारा विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
33-	परिषद में प्रतिनियुक्ति पर आये ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों को जो सरकारी आवासों में निवास कर रहे हैं, मकान किराया भत्ता देने के सम्बन्ध में।	111/(33)/81	परिषद में प्रतिनियुक्ति पर आये ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो सरकारी आवासों में निवास कर रहे हैं, को मकान किराया भत्ता दिये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
34-	निर्माण कार्यों हेतु सीमेंट एवं ईंटों की आवश्यकतानुसार उपलब्ध न होने की विषम स्थिति के सम्बन्ध में।	111/(34)/81	निर्माण कार्यों हेतु सीमेंट एवं ईंटों की आवश्यकतानुसार उपलब्ध न होने की स्थिति पर विचार किया गया आवास-आयुक्त ने बताया कि उन्होंने इस संदर्भ में खाद आयुक्त से सम्पर्क किया था और खाद्य आयुक्त ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि वह परिषद के लिये ईंटों के पकाने हेतु कोयले का अलग से आवंटन करेंगे जिसे भट्टे वालों को आवंटित कर ईंट की दर निर्धारित कराई जायेगी और ईंटे निर्धारित दर पर क्रय की जा सकेंगी यह भी निर्णय लिया गया कि अभियन्ता, रुड़की जाकर यह अध्ययन करें कि किन किन कार्यों में सीमेंट का उपयोग कम करना सम्भव है और अपनी रिपोर्ट अगली बैठक में विचारार्थ रखें।
35-	राम सागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ में पन्द्रहवें तथा सोलहवें शासन ऋण के अन्तर्गत निर्मित किये जा रहे अल्प आय वर्ग के 64 तथा 78 भवनों में अतिरिक्त कार्यों के संबंध में।	111/(35)/81	राम सागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ में पन्द्रहवें तथा सोलहवें शासन ऋण के अन्तर्गत निर्मित किये जा रहे अल्प आय वर्ग 64 तथा 78 भवनों में अतिरिक्त कार्यों के निर्माण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
36-	न्याय प्रशासन की विकेन्द्रीकरण योजना के लिये सप्तम वित्त आयोग व्दारा स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत न्याय विभाग के अनावासिक एवं आवासिक भवनों का निर्माण।	111/(36)/81	न्याय प्रशासन की विकेन्द्रीकरण योजना के लिये सप्तम वित्त आयोग व्दारा स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत न्याय विभाग के अनावासिक एवं आवासिक भवनों के निर्माण के संबंध में परिषद व्दारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे समस्त भवनों के निर्माण की प्रगति

क्0प030

2	3	4
		की मानीटरिंग समय समय पर की जाय और प्रगति से परिषद को अवगत कराया जाय।
पुरा योजना, वाराणसी चार मंजिले 456 एम0आई0 भवनों का निर्माण।	111/(37)/81	भेलूपुरा योजना, वाराणसी में चार मंजिले 456 एम0आई0जी0भवनों के निर्माण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
ा के तहसील मुख्यालयों मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों के ालय के वर्ग 3 व 4 र्मचारियों के लिये श्रेणी व श्रेणी एक के आवासिक ों का निर्माण।	111/(38)/81	प्रदेश के तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों के न्यायालय के वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के लिये श्रेणी दो व श्रेणी एक के आवासिक भवनों के निर्माण के प्रस्ताव पर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
ा के तहसील मुख्यालयों ुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों के ायालय के वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के लिये श्रेणी दो व श्रेणी एक के आवासीय भवनों का निर्माण।	111/(39)/81	प्रदेश के तहसील मुख्यालयों पर मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों के न्यायालय के वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के लिये श्रेणी दो व श्रेणी एक के आवासीय भवनों के निर्माण के संबंध में परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
श्री चन्द्र देव गौतम को मध्यम आय वर्ग का भवन राम सागर मिश्र नगर योजना में प्रदेशन किये जाने हेतु।	111/(40)/81	श्री चन्द्र देव गौतम को मध्यम आय वर्ग का भवन राम सागर मिश्र नगर योजना में प्रदेशन किये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री गौतम का पंजीकरण पुनर्जीवित करके उन्हें अपने दौर में अनुसूचित एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये आरक्षण कोटे में नियमानुसार भवन किस्त किराये पद्धति पर प्रदिष्ट कर दिया जाय।
श्री के0के0कुदेसिया की किश्तें निर्धारण तथा भुगतान के संबंध में।	111/(41)/81	श्री के0के0कुदेसिया की किश्तों के निर्धारण तथा भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह मामला अध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद को संदर्भित कर दिया जाय और वह इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुये अपने विवेकानुसार निर्णय ले लें।
42- मुख्यालय पर बहुखण्डीय कार्यालय का निर्माण।	111/(42)/81	मुख्यालय पर बहुखण्डीय कार्यालय के निर्माण के संबंध में प्रस्तुत टिप्पणी पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बहुखण्डीय भवनों के तैयार हो जाने पर परिषद मुख्यालय के कार्यालयों को उसमें स्थानान्तरित किये जाने पर विचार किया जाय और तभी वर्तमान मुख्यालय के प्रांगण हेतु प्रस्ताव रखा जाय।
43- अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय। श्रीमती समकुंवरी यादव दुर्बल आय वर्ग में पंजीकृत का अपनी पुत्री कु0 शान्ति यादव के पक्ष में पंजीकरण अन्तरण हेतु प्रार्थना-पत्र	111/(43)/81	श्रीमती समकुंवरी यादव (दुर्बल आय वर्ग में पंजीकृत) के अपनी पुत्री कु0 शान्ति-

1	2	3	4
			यादव के पक्ष में पंजीकरण अन्तरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में निकट के खून के रिश्ते वाले सम्बन्धियों के बारे में अपने विवेकानुसार पंजीकरण के अन्तरण की अनुमति दे सकते हैं।

पुष्टि की गई

[signature]
अध्यक्ष
24.9.81

(44)/81

9- कार्यवृत्त में मद सं0-43 के आगे एक पैरा सं0-44 जोड दिया जाय जो निम्नवत् है:-

''प्रोफेसर दिनेश मोहन के प्रस्ताव पर परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परिषद की मानीटरिंग कमेटी की अगली बैठक हरिद्वार में दिनांक 23-9-81 को प्रातः 11 बजे बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार के अतिथि गृह में रखी जाय और परिषद की बैठक अगले दिन बृहस्पतिवार दिनांक 24 सितम्बर, 1981 को रुडकी में सी0बी0आर0आई0 के कार्यालय में प्रातः 10-30 बजे से रखी जाय।

परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय भी लिया कि भविष्य में एक बैठक आगरा में आयोजित की जायेगी''

[signature]